30
14-11-13

5=15-00

आवश्यक स्टाम्प र... पत्र देने की ता... Date on which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	...र्ड पर नकल ... होने की सूचना की ता... Date of pasting ... notice on notice boa...	...Date of delivery of the copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
14.11.2013	14.11.2013	14.11.2013	14-11-13

नकल आदेश दिनांक 16.03.2013 न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, फैजाबाद। वाद संख्या 71 अन्तर्गत धारा 143 जेड॰ए॰ऐक्ट मौजा-रा-जेपुर उपरहार परगना हवेली अवध तहसील सदर, फैजाबाद। भगवान बक्स सिंह प्रबन्धक भागीरथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टी० बनाम सरकार फैसला दिनांक 16.03.2013

नोट- नकल आदेश की छाया प्रति फोलियो के साथ संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

बक्स सिंह प्रबन्धक, गंगारथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टी0——————बनाम——————सरकार।

वाद संख्या: 71
अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0अ0
मौजा–राजेपुर उपरहार, परगना–हवेली अवध,
तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री भगवान बक्स सिंह मैनेजर, गंगारथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना पत्र दिनॉक 23.02.2013 अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम पर प्रारम्भ की गयी। श्री अभय सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है, कि ग्राम राजेपुर उपरहार, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की खतौनी सन् 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27, 28, 67ख, 68 व 927 भूमि टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर के नाम दर्ज है, जिस पर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग होने के कारण आबादी/अकृषिक अंकित करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनॉक 08.03.2013 प्राप्त होने के बाद वाद पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार सदर की प्राप्त आख्या, जिसके साथ प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है, का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2545 हेक्टेयर भूमि पर गंगारथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक भगवान बक्स सिंह पुत्र रामफेर सिंह निवासी राजेपुर तहसील सदर, जिला फैजाबाद का नाम बतौर बैनामा सहखातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर विद्यालय बन रहा है। अन्य खातेदारों द्वारा लिखित बयान दिया गया है, कि उन्हें कोई आपत्ति नही है। मौके पर भूमि अकृषिक मौके प्रयोजन में लायी जा रही है। तहसीलदार सदर द्वारा धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वादी भगवान बक्श सिंह द्वारा दिनॉक 13.03.3013 को बयान अंकित कराया गया है। बयान में वादी द्वारा कहा गया है, कि गाटा संख्या 27, 28, 67ख, 68 व 927 को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। गाटा संख्या 27मि0 रकबा 0.2545 हेक्टेयर भूमि गंगारथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर, फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक भगवान बक्श सिंह पुत्र रामफेर सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिस पर विद्यालय भवन का निर्माण चल रहा है। मौके पर प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। गाटा संख्या 27मि0 रकबा 0.2545 हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर की जांच आख्या, वादी भगवान बक्श सिंह के बयान एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि ग्राम राजेपुर उपरहार, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद में स्थित गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2545 हेक्टेयर भूमि पर गंगारथी टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट राजेपुर फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक भगवान बक्स सिंह पुत्र रामफेर सिंह निवासी राजेपुर तहसील सदर, जिला फैजाबाद का नाम बतौर बैनामा सहखातेदार दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है तथा भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार सदर की आख्या से स्पष्ट है, कि उक्त भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है तथा उस पर कृषि कार्य नही हो रहा है, जिसे अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या एवं वादी भगवान बक्श सिंह के बयान से सहमत होते हुए ग्राम राजेपुर, परगना हवेली अवध, तहसील सदर फैजाबाद की खतौनी सन् 1416 से 1421 फसली के खाता संख्या 403 पर दर्ज गाटा संख्या 27 मि0 रकबा 0.2545 हेक्टेयर भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर/उपनिबन्धक सदर को अनुपालनार्थ भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक: 16.03.2013

मिलान किया द्वारा इलेक्ट्रोस्टेट
मुकाबला किया 15/1/13
शब्द लगभग 400

6/3/13
(राम सहाय यादव)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद

14/1/13